अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर।

संदिग्ध जमाबंदी अभिलेख संख्या 04 (III) / 2014–15

59/18-10

तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
21.8.14	अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी हल्का संख्या–3 द्वारा मौजा बडा पिछडी थाना संख्या 86, खाता संख्या–152 कुल रकबा 3.66ए0 भूमि का संदिग्ध जमाबन्दी का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त प्रस्ताव मौजा बडा पिछडी के पंजी–2 के भौलूम संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 223 पर मनोहर चन्द्र पाल दी0 के नाम पर कायम जमाबंदी से संबंधित है। प्रस्ताव के साथ पंजी–2 की छाया प्रति संलग्न की गई है। प्रस्ताव एवं संलग्न पंजी–2 की छाया प्रति का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रासंगिक संदिग्ध जमाबंदी से संबधित भूमि गैर आबाद खाते की है। उक्त जमाबंदी पृष्ठ के प्राधिकार कॉलम में अंकित किया गया है कि:– धारा 5,6,7 / 70–71, केश न0–4(III) 70–71, उक्त जमाबंदी के कायम होने संबंधी किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर द्वारा दिनांक 18.11.11 को प्रासंगिक जमाबंदी पृष्ठ पर हल्का कर्मचारी को आदेश देते हुए अंकित किया गया है कि-- कार्यालय से कागजात की जॉच कर लें। पंजी–2 में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक 30.11.11 को अंकित किया गया है कि :– तत्कालीन अंचल अधिकारी ,गोविन्दपुर के आदेशानुसार जमाबंदी स्थगित किया जाता है। जिसका विविध वाद संख्या 10 / 11–12 है। तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता-- धनबाद द्वारा पंजी–2 के पृष्ट सं0–223 पर संदिग्ध जमाबन्दी नियमानुकुल कार्रवाही करें दिनांक 15.5.12 को अंकित किया है। उक्त जमाबंदी पृष्ठ में वित्तीय वर्ष 2011–12 में कई दाखिल खारिज के उपरांत नये जमाबंदी कायम करने संबंधित विवरण अंकित है जिसके संबंध में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उसके लिए अलग से संदिग्ध जमाबंदी का प्रस्ताव समर्पित किया जा रहा है। अतः उपरोक्त आलोक में जमाबंदीदार रैयत को सूचना निर्गत कर प्रासंगिक भूमि के संबंध में राजस्व कागजात एवं साक्ष्य की मॉग करें। अभिलेख दिनांक 13.9.14 को उपस्थापित करें। 21/8/14 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर।	